


सुधारित गांव नमुना नंबर 1 (क) 1 ते 14


| गांवाचे नांव :- चौगांव खुर्द | | सजेचे नांव:- अमोणी | | तालुका:- तळोदा | | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|--------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|----------------------------------|------|--|
| अ.नं | जमिनीचा प्रकार | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नांव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शर्तीवर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहीत केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नांव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शासनास भरावी लागणारी अनर्जित रक्कम / नजराणा / कब्जेहक्काची रक्कमेचा तपशिल | सक्षम प्राधिकाऱ्याचे विक्री परवानगी / शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित झाले असल्यास त्यांचा क्रमांक व दिनांक | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 32 ग अन्वये विक्री झालेल्या जमीनी | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |
| 2 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमीनी (देवस्थान जमीनी वगळून) | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |
| 3 | महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत विविध योजनेतर्गत प्रदान/अतिक्रमण निवयमानुकूल केलेल्या जमीनी (भूमिहीन, शेतभजुर / स्वातंत्र्य सैनिक / मागासवर्गीय / माजी, आजी सैनिक यांना प्रदान जमिनी) | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |
| 4 | महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत विविध योजनेतर्गत प्रदान/अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमीनी (गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक आस्थापना, शैक्षणिक संस्था, विशेष वसाहत प्रकल्प इ.) | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |
| 5 | महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा अधिनियम 1961 अंतर्गत वाटप केलेल्या जमीनी | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |
| 6 | महानगरपालिका नगरपालिका व विविध प्राधिकरण यांच्या विकास आराखडयास समाविष्ट असलेल्या जमीनी अथवा ग्रामपंचयातीकडे गुरुरचण अथवा इतर प्रयोजनासाठी वर्ग केलेल्या जमीनी | 7/2 | म्हसनवट | 0.71 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | देवस्थान इनाम जमीनी | | | | | | | | निरंक | | | | | | | |


| गांवाचे नांव :- चौगांव खुर्द | | सजेचे नांव:- अमोणी | | तालुका:- तळोदा | | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|------|
| अ.नं | जमिनीचा प्रकार | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नांव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शर्तीवर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहीत केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नांव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शासनास भरावी लागणारी अर्जास रक्कम / नजराणा / कब्जेहक्काची रक्कमेचा तपशिल | सक्षम प्राधिकार्याचे विक्री परवानगी / शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित झाले असल्यास त्यांचा क्रमांक व दिनांक | नजराणा व इंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | आदिवासी खातेदारांच्या जमीनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36-अ प्रमाणे | गट नं. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हे गट आदिवासी खातेदाराचे असून 36 (अ) ने नियंत्रित आहेत. | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम 1966 च्या कलम 16 अन्वये प्रदान केलेल्या जमीनी | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | भाडे पट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनी | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | भुदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमीनी | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम 1975 तसेच महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अन्वये चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या जमीनी | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | भूमीधारी हक्कान्वये प्राप्त झालेल्या जमीनी | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | महाराष्ट्र जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अंतर्गत कमाल मर्यादपेक्षा अधिक धारण करण्यास सुट दिलेल्या जमीनी कलम 47 | निरंक | | | | | | | | | | | | | |

| गांवाचे नांव :- चौगांव खुर्द | | सजेचे नांव:- अमोणी | | तालुका:- तळोदा | | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|----------------------------------|------|
| अ.नं | जमिनीचा प्रकार | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नांव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शर्तीवर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहीत केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नांव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शासनास भरावी लागणारी अनर्जित रक्कम / नजराणा / कब्जेहक्काची रक्कमेचा तपशिल | सक्षम प्राधिकार्याचे विक्री परवानगी / शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित झाले असल्यास त्यांचा क्रमांक व दिनांक | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | मुंबई कुळवहिवाट व शतं जमीन अधिनियम 1948 अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ कलम 63(1)(अ) अन्वये खरेदी केलेल्या भोगवटदार वर्ग- चा औद्योगिक वापर सुरु न केलेल्या जमिनीचा तपशिल | | | | | | | | निरंक | | | | | | |
| 16 | मुंबई कुळवहिवाट व शतं जमीन अधिनियम 1948 अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ कलम 63(1)(अ) अन्वये खरेदी केलेल्या भोगवटदार वर्ग- चा औद्योगिक वापर सुरु न केलेल्या जमिनीचा तपशिल | | | | | | | | निरंक | | | | | | |
| 17 | भुमी संपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत जमीनी संपादन करून संपादन संस्थकडे वापरविना शिल्लक राहिलेल्या जमीनीचा तपशिल | | | | | | | | निरंक | | | | | | |
| 18 | विविध वतन/इनाम कायदाच निर्मुलन (रद्द) झालेमुळे जमिनी खालसा होऊन सरकार जमा झालेली तथापि मुदतीत मुळ मालकास पुर्नदानित न झालेल्या जमीनीचा तपशिल | | | | | | | | निरंक | | | | | | |
| 19 | महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 अंतर्गत कलम 220 अन्वये | | | | | | | | निरंक | | | | | | |
| 20 | विविध वतन/इनाम कायदाखाली शर्तभंग होऊन सरकार जमा झालेल्या जमिनीचा तपशिल | | | | | | | | निरंक | | | | | | |

| गांवाचे नांव :- चौगांव खुर्द | | सजेचे नांव:- अमोणी | | तालुका:- तळोदा | | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|--------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|----------------------------------|------|
| अ.नं | जमिनीचा प्रकार | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नांव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शर्तीवर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहित केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नांव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शासनास भरावी लागणारी अनर्जित रक्कम / नजराणा / कब्जेहक्काची रक्कमेचा तपशिल | सक्षम प्राधिकार्याचे विक्री परवानगी / शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित झाले असल्यास त्यांचा क्रमांक व दिनांक | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 20 खाली जिल्हाधिकारी यांनी घोषित केलेल्या जमिनीचा तपशिल उदा. सार्वजनिक रस्ता, उपवन समुद्राचे पात्र, बंदारे, आढ,नाले, कालवे, जलमार्ग याचा तपशिल | 2 | लघु. पा. यो. | 1.99 | 2.45 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 3 | लघु. पा. यो. | 1.96 | 1.70 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 4/1/अ | लघु. पा. यो. | 0.98 | 0.30 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 4/1/ब | लघु. पा. यो. | 4.85 | 1.45 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 5 | लघु. पा. यो. | 6.47 | 1.95 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 6/1 | लघु. पा. यो. | 2.71 | 1.75 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| | | 6/2 | लघु. पा. यो. | 2.71 | 1.75 | | | पाझर तलाव | | | | | | | |
| 22 | भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून जिल्हाधिकार्यांनी प्रदान केलेले इमारत भुखंड/ ब सत्ता प्रकार जमिनीचा तपशिल | निरंक | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | खंडकरी पानी धारण केलेल्या तथापि वाटप होऊन 10 वर्ष पुर्ण न झालेल्या जमिनीचा तपशिल | निरंक | | | | | | | | | | | | | |




मंडळ अधिकारी
तळोदा


तहसिलदार तळोदा